संख्या-1627/एक-10-2024

प्रेषक,

राम केवल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
झांसी, खीरी एवं वाराणसी।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊः दिनांकः 25-09-2024

विषयः- वित्तीय वर्ष 2024-25 में बाढ़ से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों/परिवारों/कृषकों को राहत सहायता/कृषि निवेश अनुदान प्रदान करने व अन्य राहत कार्यों हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में बाढ़ से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों/परिवारों/कृषकों को राहत सहायता/कृषि निवेश अनुदान प्रदान करने व अन्य राहत कार्यों हेतु **रू0 35,10,49,786.00 (रू0 पैंतिस करोड दस लाख उन्चास हजार सात सौ छियासी)** की धनराशि वित्तीय 2024-25 में राज्य आपदा मोचक निधि के बाढ़ मद- 02 से निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्न तालिका के कॉलम-2 में अंकित जनपदों के जिलाधिकारी को कॉलम-3 में अंकित धनराशि सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं-

क्रम सं0	जनपद का नाम	स्वीकृत की जा रही धनराशि (रू0 में)
1	2	3
1	झांसी	16,10,49,786.00
2	खीरी	18,50,00,000.00
3	वाराणसी	50,00,000.00
योग		**35,10,49,786.00**
(रू0 पैंतिस करोड दस लाख उन्चास हजार सात सौ छियासी मात्र)		

<u>नियम व शर्ते/प्रतिबन्ध</u>

1. स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी अपितु आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत प्रदान किये जाने को शासन को शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से वितरित किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश सं0-ए-1-803/दस-2013-10(28)/2011, दिनाक 10.10.2013 (उक्त शासनादेश पूर्व में सभी मण्डलायुक्त/जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका हैं, जिसे राहत की वेबसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जनपदीय कोषागार से सीधे लाभार्थी के बैंक खातें में ई-पेमेन्ट के माध्यम से ही भुगतान सुनिश्चित किया जाये।
2. जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये। टी.आर.-27 से आहरित धनराशि का प्रथमतः समायोजन किया जायेगा।
3. राज्य आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि दैवीय आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत

सहायता का वितरण भारत सरकार के पत्र सं0-33-03/2020-NDM-1दिनांक 11.07.2023, जिसमें राहत प्रदान करने के लिए मानक/दरें निर्धारित हैं तथा जो वित्तीय वर्ष 2023-24 से प्रभावी हैं, का भी अनुपालन किया जायेगा।

4. राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।
5. निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तद्नुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुप्रयोग सुनिश्चित करना व्यय का पूर्व विवरण शासन की निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाये।
6. राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।
7. राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2025 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।
8. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0-42 आई में शासन को उपलबब्ध कराया जाये।
9. व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय हेतु **रू0 35,10,49,786.00 (रू0 पैंतिस करोड दस लाख उन्चास हजार सात सौ छियासी मात्र)** चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 2245-05-800-06-02 बाढ़ से राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by
Ram Kewal
Date: 25-09-2024 11:55:56

(राम केवल)
विशेष सचिव।

संख्या- 1627 (1)/एक-10-2024, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0, लखनऊ।
4- राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
5- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
7- सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उ0प्र0।

8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)
अनु सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2024-2025
आवंटन दिनांक-23/09/2024

डेस्क संख्या:-	1627
आवंटन आदेश संख्या:-	001-1627
अनुदान संख्या:-	51 राजस्व विभाग (देवी विपत्तियों के समन्वय में राहत)(वित्तीय वर्ष 2024-2025 का आवंटन)
सेक्शन कोड:-	1245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेतर-मतदेय) 05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड 01 - अन्य व्यय 01 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय 02 - बाढ़ राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

क्र.सं.	अधिकारी/कार्यालय का नाम		02-अन्य व्यय	योग
	[illegible]-1217-जिलाधिकारी , -01-	प्रस्तावित स्वीकृत	161049786 162049786	161049786 162049786
	[illegible]-1217-जिलाधिकारी , -01-	प्रस्तावित स्वीकृत	5000000 175000000	5000000 175000000
	[illegible]-1217-जिलाधिकारी , -01-	प्रस्तावित स्वीकृत	185000000 991971750	185000000 991971750
	योग	प्रस्तावित स्वीकृत	351049786 1171521536	351049786 1171521536

महत्वपूर्ण (वर्तमान आवंटन):- रूपया पैंतीस करोड़ दस लाख उनचास हजार सात सौ छियासी
महत्वपूर्ण (अन्तिम आवंटन):- रूपया एक अरब सत्रह करोड़ पन्द्रह लाख इक्कीस हजार पाँच सौ छत्तीस

(संतोष कुमार)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी

(संतोष कुमार)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त कार्यालय
उत्तर प्रदेश।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2024-2025
आवंटन दिनांक-25/09/2024

प्रेषण संख्या:- 1627
आवंटन आदेश संख्या:- 001-1627
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2024-2025 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय
02 - बाढ़ राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	झाँसी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	161049786 162049786	161049786 162049786
2	वाराणसी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 17500000	5000000 17500000
3	लखीमपुर खीरी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	185000000 991971750	185000000 991971750
	योग	वर्तमान प्रगामी	351049786 1171521536	351049786 1171521536

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया पैंतीस करोड़ दस लाख उनचास हजार सात सौ छियासी
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया एक अरब सत्रह करोड़ पन्द्रह लाख इक्कीस हजार पाँच सौ छत्तीस

(संतोष कुमार)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
(संतोष कुमार)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त कार्यालय
उत्तर प्रदेश।